रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16102024-257956
CG-DL-E-16102024-257956

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 589]	नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 16, 2024/आश्विन 24, 1946
No. 589]	NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 16, 2024/ASVINA 24, 1946

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अक्तूबर, 2024

सा.का.नि. 645(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 206ग के साथ पठित धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (नौवां संशोधन) नियम, 2024 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. आय-कर नियम, 1962 में,—

(क) नियम 31कक के उपनियम (4) में,—

(i) खंड (vi) में,—

(अ) उपखंड (ख) में, "चौथे परंतुक" शब्दों के स्थान पर, "पांचवे परंतुक" शब्द रखे जाएंगे ;

(आ) उपखंड (ग) में, "पांचवे परंतुक" शब्दों के स्थान पर, "छठे परंतुक" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (vii) में,

हिन्दी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है ।

(iii) खंड के पश्चात् निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(viii) प्राप्त या विकलित रकम की विशिष्टियां प्रस्तुत करें, जिस पर कर एकत्रित नहीं किया गया था या धारा 206ग की उपधारा (12) के अधीन जारी की गई किसी अधिसूचना को ध्यान में रखते हुए कम दर पर कर एकत्रित किया गया था ।";

(ख) नियम 37झ में,—

(i) उपनियम (1) में, "संग्रहीत किया जा चुका है" शब्दों के स्थान पर, "व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् संग्रहणकर्ता कहा गया है) द्वारा दिए गए कर संग्रहण के संबंध में सूचना के आधार पर एकत्रित किया जा चुका है" शब्द और कोष्ठक रखें जाएंगे ;

(ii) उपनियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(1अ) (क) जहां अधिनियम के किन्हीं उपबंधों के अधीन, संग्रहकर्ता की आय, संग्रहकर्ता से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति के हाथ में निर्धारणीय है तो स्रोत पर संग्रहीत कर के लिए क्रेडिट ऐसे अन्य व्यक्ति को दिया जाएगा न कि संग्रहकर्ता को :

परंतु संग्रहकर्ता, कलक्टर के पास उद्घोषणा पत्र फाइल करेगा और कलक्टर उपनियम (1) में निर्दिष्ट कर के संग्रहण से संबंधित जानकारी में अन्य व्यक्ति के नाम में कर संग्रहण की रिपोर्ट करेगा ।

(ख) खंड (क) के परंतुक के अधीन संग्रहकर्ता द्वारा फाइल की गई उद्घोषणा में उस व्यक्ति का नाम, पता स्थायी खाता संख्यांक अन्तर्विष्ट होगा जिसको स्रोत पर कर की कटौती का क्रेडिट दिया जाना है, उस संदाय की वह रकम, जिसके संबंध में क्रेडिट दिया जाना है और ऐसे व्यक्ति को क्रेडिट दिए जाने के कारण भी अंतर्विष्ट होंगे।

(ग) कलक्टर, अधिनियम की धारा 206ग की उपाधारा (3) के अधीन स्रोत पर कर संग्रहण के लिए प्रमाणपत्र उस व्यक्ति के नाम में जारी करेगा जिसके नाम में उपनियम (1) में निर्दिष्ट कर के संग्रहण से संबंधित जानकारी में क्रेडिट दर्शाया गया है और उद्घोषणा को अपनी सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा।"

(ग) प्ररुप सं. 27ड.थ के, उपाबंध में, सत्यापन के पश्चात्, टिप्पणों में, टिप्पण (8) के पश्चात् निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

'8क. यदि धारा 206ग की उपधारा (12) के अधीन जारी की गई अधिसूचना को ध्यान में रखते हुए कोई संग्रहण नहीं है या कम संग्रहण है तो "ञ" लिखें ।'।

[सं. 114/2024/फा. सं. 370142/21/2024-टीपीएल]

खुशबू लाठर, अवर सचिव

टिप्पण: आय कर अधिनियम, 1962, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में, अधिसूचना सं. का. आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना सं. सा.का.नि.639 (अ), तारीख 15 अकतूबर, 2024 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th October, 2024

G.S.R. 645(E).—In exercise of the powers conferred by section 295 read with section 206C of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:–

1. (1) These rules may be called the Income-tax (Ninth Amendment) Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Income-tax Rules, 1962,—

(a) in rule 31AA, in sub-rule (4),—

(i) in clause (vi),–

(A) in sub-clause (b), for the words "fourth proviso", the words "fifth proviso" shall be substituted;

(B) in sub-clause (c), for the words "fifth proviso", the words "sixth proviso" shall be substituted;

(ii) in clause (vii), for the word, figures and letter "section 206C." occurring at the end, the word, figures and letter "section 206C;" shall be substituted;

(iii) after clause (vii), the following clause shall be inserted, namely:–

"(viii) furnish particulars of amount received or debited on which tax was not collected or tax was collected at a lower rate in view of any notification issued under sub-section (12) of section 206C.";

(b) in rule 37-I,—

(i) in sub-rule (1), after the words "has been collected", the brackets and words "(hereinafter referred to as the collectee)" shall be inserted;

(ii) after sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely: —

"(1A) (a) Where under any provisions of the Act, the income of the collectee is assessable in the hands of any person other than the collectee, the credit for the tax collected at source, shall be given to such other person and not to the collectee:

Provided that the collectee shall file a declaration with the collector and the collector shall report the tax collection in the name of the other person in the information relating to collection of tax referred to in sub-rule (1).

(b) The declaration filed by the collectee under the proviso to clause (a) shall contain the name, address, permanent account number of the person to whom credit for the tax collectible at source is to be given, amount of payment in relation to which credit is to be given and reasons for giving credit to such person.

(c) The collector shall issue the certificate for collection of tax at source under sub-section (3) of section 206C of the Act, in the name of the person in whose name credit is shown in the information relating to collection of tax referred to in sub-rule (1) and shall keep the declaration in his safe custody.";

(c) in Form No. 27EQ, in the Annexure, after Verification, in the Notes, after Note 8, the following Note shall be inserted, namely:–

'8A. Write "J" if no collection or lower collection is in view of notification issued under sub-section (12) of section 206C.'.

[No. 114/2024/F. No. 370142/21/2024-TPL]

KHUSHBOO LATHER, Under Secy.

Note : The Income-tax Rules, 1962 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii) *vide* notification number S.O. 969 (E), dated the 26th March, 1962 and were last amended *vide* notification number G.S.R 639 (E), dated the 15th October, 2024.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA